संख्या-639/61-2023

प्रेषक,

चन्द्रशेखर,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,
उ0प्र0 लखनऊ।

निर्वाचन अनुभाग लखनऊ : दिनॉक : 10 जनवरी, 2024

विषय:- लोक सभा/विधान सभा/विधान परिषद एवं उप निर्वाचनों की चुनाव डयूटी में तैनात कार्मिकों को अनुमन्य अनुग्रह राशि भुगतान कराये जाने सम्बन्धी निर्गत शासनादेश दिनॉक 07-05-2019 में आंशिक संशोधन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि निर्वाचन अनुभाग, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या-249/61-2019-114/3-2007 (निर्वा-3) दिनॉक 07-05-2019 द्वारा लोक सभा/विधान सभा/विधान परिषद एवं उप निर्वाचनों की चुनाव डयूटी में तैनात कार्मिकों को अनुमन्य अनुग्रह राशि को संशोधित दरों के अनुसार भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश निर्गत किया गया था।

2- इस सम्बन्ध में भारत निर्वाचन आयोग के पत्र संख्या- 218/6/2019/ ई०पी०एस० दिनांक 10.04.2019 के प्रस्तर- 2 में चुनाव डयूटी के सम्बन्ध में निम्नानुसार निर्देश उल्लिखित किये गये है:-

2. Further, the following clarifications are also issued-

a. Payment of ex-gratia compensation to family of polling personnel who die or sustain injuries while **on election duty** will be applicable to all personnel deployed in **all types of election related duties** .....

b. The applicable period of election duty would start from the date of announcement of the elections.

c. It is clarified that it would be reasonable to consider a person on **election duty** as soon as he/she residence/office to report for any **election related duty** including training and untill he/she reaches back his/her residence/office after performance of his/her election related duty, if any mishap takes place during this period, it should be treated as having occurred on **election duty** subject to condition that there should be a casual connection between occurrence of death/injury and the election duty.

3- भारत निर्वाचन आयोग के उक्त निर्देश के क्रम में सम्यक विचारोपरान्त निर्वाचन अनुभाग, उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या- 249/61-2019-114/3-2007 (निर्वा- 3), दिनांक 07.05.2019

...2/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

के प्रस्तर-1 के तालिका में उल्लिखित बिन्दु संख्या-1 में निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ-1 में उल्लिखित वर्तमान प्राविधान के स्थान पर स्तम्भ-2 की तालिका में उल्लिखित प्राविधान प्रतिस्थापित किये जाने की एतदद्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

वर्तमान प्राविधान	संशोधित प्राविधान
(स्तम्भ-1)	(स्तम्भ-2)
1- प्रशिक्षण अथवा मतदान/ मतगणना ड्यूटी के दौरान किसी असामयिक दुर्घटना में मृत्यु की दशा में।	1- समस्त प्रकार की चुनाव ड्यूटी के दौरान किसी असामयिक दुर्घटना में मृत्यु की दशा में।

4- उपर्युक्त संशोधन के फलस्वरूप निर्वाचन अनुभाग, उ0प्र0 शासन का शासनादेश संख्या-249/61-2019-114/3-2007 (निर्वा- 3), दिनांक 07.05.2019 इस सीमा तक संशोधित समझा जाय। उक्त शासनादेश दिनॉक 07-05-2019 में उल्लिखित शर्तें यथावत रहेंगी।

5- यह आदेश वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-12 के अशासकीय संख्या-E-12-439-X-2023-24, दिनॉक 09-01-2024 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(चन्द्रशेखर)
विशेष सचिव।

<u>संख्या-639(1)/61-2023, तददिनॉक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- सचिव, भारत निर्वाचन आयोग, निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली।
2- महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी (प्रथम/द्वितीय),एवं लेखा परीक्षा,उ0प्र0प्रयागराज (इलाहाबाद)।
3- महालेखाकार, आडिट (प्रथम/द्वितीय), उ0प्र0 प्रयागराज (इलाहाबाद)।
4- प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उ0प्र0 शासन।
5- मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6- वित्तीय सलाहकार/वित्त नियंत्रक, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ।
7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2 एवं वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-12
8- समस्त उप जिला निर्वाचन अधिकारी, उ0प्र0 द्वारा कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ।
9- समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी उ0प्र0 द्वारा कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ।

आज्ञा से,

(चन्द्रशेखर)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in